राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांकः– एफ.11(3) (मों)/बजट घोषणा/मरम्मत./ICDS/2017–18/ 48613-645 जयपुर, दिनांकः 28-3-17

जिला कलक्टर,
समस्त

विषयः– माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वित्तीय वर्ष 2017–18 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 159 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वित्तीय वर्ष 2016–17 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 121 के अनुसार राजकीय भवनों में संचालित अधिकांश आंगनबाडी केन्द्रों के रख–रखाव व सुदृढीकरण का कार्य आगामी तीन वर्षो में 75 करोड रूपये की लागत से करवाया जाना है।

उक्त बजट घोषणा के क्रम में विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए राशि रूपये 30.00 करोड के कार्य करवाये जाने है। वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में प्रथमतः आपके जिले में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अधीन संचालित वे आंगनबाडी केन्द्र, जिनके भवन टूटी–फूटी अवस्था में है, जिनकी छत टपकती है एवं वृहद् मरम्मत कार्य करवाया जाना है, उनके परियोजनावार प्रस्ताव जिला स्तर पर संकलित करवाकर प्रस्तुत करवाये जाने अपेक्षित है। ताकि तद्नुसार वित्त विभाग को वांछित प्रस्ताव भिजवाये जा सकें।

जिले से प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों के क्रम में यह सुनिश्चित करावें कि परियोजना स्तर से ऐसे आंगनबाडी कार्यो के मरम्मत कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जावें, जिनमें मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है। तथा यह भी सुनिश्चित करावें की परियोजना स्तर से एसे आंगनबाडी केन्द्रों जिनके मरम्मत योग्य प्रस्ताव वर्ष 2016–17 में स्वीकृत किये जा चुके है, सम्मिलित नही किये जावें।

उक्त मरम्मत कार्य के लिए कार्यकारी ऐजेंन्सी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद है। बाल विकास परियोंजना अधिकारी, अपने परियोजना परिक्षेत्र के ऐसे आंगनबाडी केन्द्रों को चिन्हित कर (वर्ष 2016–17 में स्वीकृत किये गये आंगनबाडी केन्द्रो के अतिरिक्त) उनके मरम्मत के तकमीने पंचायत समिति के तकनीकी अधिकारी से तैयार करवाकर जिला कार्यालय को प्रेषित करेंगे, जिनको जिला स्तर पर परियोजनावार संकलित कर, उप निदेशक के माध्यम से निदेशालय को अग्रेषित किया जाऐगा।

अत आपसे अनुरोध है कि आपके जिले के अधीन संचालित मरम्मत योग्य आंगनबाडी केन्द्रों के वांछित प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित कराने के सम्बन्ध में आपके स्तर से भी जिला परिषद, पंचायत समिति एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करावे। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

(डॉ समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव,
समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः– एफ.11(3) (मों)/बजट घोषणा/मरम्मत./ICDS/2017–18/ 48646-49321 जयपुर, दिनांकः 28-3-17

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त।
3. विकास अधिकारी, पंयायत समिति समस्त।
4. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं समस्त।
5. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर